बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0 80/2024

ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त डी0 एल0 एड0 कोर्स संचालित संस्थान के प्राचार्य एवं संबंधितों को प्रशिक्षण सत्र 2023–25 में नामांकित विद्यार्थियों का ऑनलाईन जमा किये गये सूचीकरण आवेदन प्रपत्र से संबंधित द्वितीय डमी सूचीकरण कार्ड में त्रुटि सुधार के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं संबंधितों को सूचित किया जाता है कि समिति की प्रसारित विज्ञप्ति संख्या– पी॰आर॰ 28/2024, एवं पी0आर0 54/2024 के आलोक में **दिनांक 24.01.2024 से 13.02.2024 तक** की अवधि में ऑनलाईन जमा किये गये सूचीकरण आवेदन प्रपत्र से संबंधित **द्वितीय डमी सूचीकरण कार्ड समिति की वेबसाईट http://secondary.biharboardonline.com/** पर दिनांक **21.02.2024 से 24.02.2024 तक** त्रुटि संशोधन हेतु अपलोड रहेगा।

2. उक्त अवधि में संबंधित संस्थान के प्राचार्य अपने संस्थान के विद्यार्थियों का **द्वितीय डमी सूचीकरण कार्ड** समिति की वेबसाईट से तीन प्रति में डाउनलोड कर दो प्रति अपने हस्ताक्षर/मुहर के साथ संबंधित विद्यार्थी को उपलब्ध करा देंगे और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।

3. डमी सूचीकरण कार्ड में यदि किसी प्रकार की त्रुटि यथा– आवेदक के माता के नाम अथवा पिता के नाम के कॉलम में मुद्रित विवरण त्रुटिपूर्ण रहने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी से सक्षम साक्ष्य प्राप्त कर तद्नुरूप संशोधन करना सुनिश्चित करेंगे तथा संशोधन से संबंधित साक्ष्य संस्थान में संधारित रखेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संशोधन के क्रम में किसी भी विद्यार्थी का संपूर्ण विवरण परिवर्तित नहीं हो। उदाहरणार्थ यदि किसी विद्यार्थी के माता के नाम में त्रुटि है तो उस विद्यार्थी के मैट्रिक/इंटरमीडिएट के अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित विद्यार्थी नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि तथा आधार कार्ड में अंकित विवरणों से भली भाँती सावधानीपूर्वक मिलानोपरान्त अपेक्षित संशोधन करेंगे। पिता के नाम में त्रुटि का संशोधन भी उपर्युक्त प्रकार से किया जाएगा। उपर्युक्त प्रकार से विद्यार्थी का जन्म तिथि से संबंधित विवरण में भी संशोधन किया जा सकेगा तथा यदि ऐसा पाया जाता है कि विद्यार्थी नामांकन हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु को पूर्ण नहीं कर रहा है तो ऐसे विद्यार्थी का नामांकन रद्द कर अविलम्ब इसकी सूचना समिति को दें।

4. किसी भी परिस्थिति में छात्र के नाम में पूर्ण/बृहद संशोधन नहीं किया जाएगा।

परीक्षा नियंत्रक (विविध)

Scanned with CamScanner